**उत्तर प्रदेश शासन,**
**नियोजन अनुभाग-1,**
संख्या-19/2019/779(2)/35-1-2019-2/(1)/2019
लखनऊ दिनांकः 15 अक्टूबर ,2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-02 (शून्य भुखमरी) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी

| | |
|---|---|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग | अध्यक्ष |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग | सह-अध्यक्ष |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग (पोषण मिशन) | सदस्य |
| 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग | सदस्य |
| 7- गोल सं0-2 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

**उक्त समिति के निम्न कार्य होंगेः-**

1- समिति अपने गोल से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।

2- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

3- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेदारी को चिन्हित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपाशयों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एक्शन प्लान तैयार करना।

4- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को ससमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना ।

5- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना ।

6- जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना ।

7- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा- सर्वप्रथम जनपद तर पर फिर नगर@ग्राम पंचायत तर पर पहुंचाने का कार्य करना ।

मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा एस0डी0जी0 टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्याः 19/2019/779(2)/35-1-2019-2/(1)/2019 -तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
7- समिति के सदस्यगण।
8- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
14- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
15- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।